समाजोपयोगि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियॉ।

विद्यार्थियों के लिए

1. अनुप्रति योजना के अंतर्गत बीपीएल अभ्यर्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनथ सेवा (संयुक्त प्रतियोगिता) परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000/— मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20,000/— एवं साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर 5,000/— की प्रोत्साहन राशि देय। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 65,000/—' मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000/— साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर 5000/—,राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम., ए.आई.आई.एम., एन.आई.टी. एन.एल.यू आदि में प्रवेश होने पर संस्थान मे प्रवेश लेने पर 40,000/— से 50,000/— तक प्रोत्साहन राशि देय। राज्य के राजकीय मेडिकल/इंजिनियरिंग कालेज में प्रवेश होने पर रूपये 10,000/— की सहायता राशि देय। विभागीय वेबसाईट ूैरमण्तंरेंजींदण्हवअण्पद ; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्ध
2. ऐसे बेरोजगार स्नातक युवाओं जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख तक है, को रूपये 500/— प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा।
4. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 4 लाख तक की राशि अध्ययन की अवधि तक बिना ब्याज व बिना गारंटर के उपलब्ध कराई जाती है। (.bankofbaroda.co.in, www.sbbjbank.co.in, www.sbi.co.in)
5. राज्य के बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 97 प्रकार का कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलवाने का कार्य शुरू हो चुका है।

आम जन के लिए।

1. मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना : राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म पर पांच वर्ष की आयु होने तक कुल रूपये 7300/— की मदद । (जन्म पर 2100/—, 1 वर्ष होने पर तथा सभी आवश्यक टीके लगवाने पर रूपये 2100/—, 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश पर रूपये 3100/—) (उपरोक्त राशि जे. एस. वाई. के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त होगी)।
2. रूपये 1 लाख प्रतिवर्ष तक की आय वाले निःसंतान दम्पतियों के इलाज के लिए रूपये 20000/— की आर्थिक सहायता।
3. मनरेगा योजना के अंतर्गत अब कुल 150 दिन का रोजगार।
4. ऐसे परिवार जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2012—2013 में मनरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूरा कर लिया है उन्हें 2100/— रूपये की नगद सहायता प्रदान की जायेगी।
5. मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की दर को बढ़ाकर रूपये 70000/— प्रति इकाई करना प्रस्तावित है।
6. अन्योदय परिवारों को भी बीपीएल परिवारों के समान सुविधायें देय
7. ''अपना खेत अपना काम योजना'' में किसान अपने स्वयं के खेत पर रूपये 1.5 लाख तक के कार्य मनरेगा के अंतर्गत करा सकते हैं।
8. किसान अपनी खेती संबंधी समस्या का समाधान मुफ्त में काल सेंटर पर 1551 या 18001801551 पर संपर्क करके कर सकते हैं।
9. बीपीएल श्रेणी के परिवारों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज व दवा उपलब्ध है।

किशन लाल वैष्णव (संकलन कर्ता)
ग्राम— तिहारी, जिला—अजमेर। मो. संख्या 9829162357